फर्द अहकाम

(नियम 26)

व विविध जीसीएमएस नंबर 2024/507 बअनवान रघुनाथसिंह बनाम अरविंदसिंह वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री नरपतसिंह राजपुरोहित उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01, 03, 04, 05 के अधिवक्ता श्री नेकाराम चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 06 के अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 07, 08 उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह ज्ञात है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम शिवतलाव में स्थित भूमि बेरा जोड वाला व राजिया नाडा की भूमियों को स्वर्गीय केसाजी पुत्र मुकनाजी से प्राप्त पुश्तैनी भूमियां होना बताते हुये वादग्रस्त भूमि ग्राम शिवतलाव के खसरा नंबर 1581/1186 व खसरा नंबर 1582/1187 रकबा क्रमशः 1.25 हैक्टर व 0.30 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.55 हैक्टर, जो बेरा राजिया नाडा के नाम से जानी पहचानी जाती है। प्रार्थी के हिस्से बंट की भूमि होना वर्णित करते हुये इन्द्राज दुरस्ती के वाद के साथ उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी जा रही है। प्रार्थी द्वारा इसका आधार यह बताया कि ग्राम शिवतलाव में ही स्थित अन्य पुश्तैनी भूमि जो बेरा जोडवाला, जिसके खसरा नंबर 231, 234, 232, 233 रकबा क्रमशः 1.05, 1.37, 0.01, 0.04 हैक्टर कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.47 हैक्टर की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के हिस्से बंट में रखी गई थी। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के पिता मेगसिंह ने अपने कब्जे काश्त की भूमि बेरा जोडवाला जिसके खसरा नंबर 231, 234, 232, 233 रकबा क्रमशः 1.05, 1.37, 0.01, 0.04 हैक्टर कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.47 हैक्टर की भूमि में से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 06 का नाम सैटलमेंट कर्मचारियों से मिलकर राजस्व रेकर्ड से हटा दिया तथा वादग्रस्त भूमि बेरा राजिया नाडा ग्राम शिवतलाव के खसरा नंबर 1581/1186 व खसरा नंबर 1582/1187 रकबा क्रमशः 1.25 हैक्टर व 0.30 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.55 हैक्टर में अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के पिता मेगसिंह पुत्र केसाजी का नाम यथावत रख दिया। जिससे प्रार्थी के पास घोषणा खातेदारी के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने से इन्द्राज दुरस्ती के जरिये घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के साथ उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्राथी के पक्ष में होने से मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी गई। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अप्रार्थी संख्या 06 के अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड की दलील है कि वादग्रस्त भूमि में स्वर्गीय भूरसिंह का 1/4 हिस्सा विद्यमान होने से उनके द्वारा रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 24.07.2000 के खरीदकर्ता अप्रार्थी संख्या 06 सरदारसिंह को बेचान किया है तथा बेचान के पश्चात अप्रार्थी संख्या 06 वादग्रस्त भूमि में बतौर खातेदार दर्ज है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि ग्राम शिवतलाव के खसरा नंबर 1581/1186 व खसरा नंबर 1582/1187	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.) ★

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

रकबा क्रमशः 1.25 हैक्टर व 0.30 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.55 हैक्टर, जो बेरा राजिया नाडा के नाम से जानी पहचानी जाती है, को अपने हिस्से बंट की भूमि होना वर्णित करते हुये अप्रार्थी संख्या 01 से 05 का नाम विलोपित किये जाने की मांग कर रहे है। इसके विपरीत अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि में स्वर्गीय मेगसिंह का 3/4 हिस्सा व स्वर्गीय भूरसिंह का 1/4 हिस्सा विद्यमान रहना वर्णित करते है तथा स्वर्गीय भूरसिंह के द्वारा अपना 1/4 हिस्सा दिनांक 24.07.2000 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा अप्रार्थी संख्या 06 को बेचान कर देने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी जा रही है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थपित बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति पर हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर ज्ञात है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 05 का नाम गलत तौर से रिकॉर्ड में दर्ज होने से इन्द्राज दुरस्ती के जरिये नाम विलोपित किये जाने का वाद पेश कर रखा है। जिस वाद में साक्ष्य इत्यादि के माध्यम से यदि प्रार्थी का वाद साबित हो जाता है तो चाहा गया अनुतोष प्रार्थी को प्राप्त हो जायेगा। वर्तमान में रिकॉर्ड में दर्ज अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की अनुमति विधि के प्रावधान प्रदत्त नहीं करते है, जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner